



-प्रेस नोट-

दिनांक: 04.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 04.07.2025 को 03 वारण्टी अभियुक्तगण 1.वाजिद पुत्र नानू निवासी ग्राम मल्ला माजरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर संबंधित वाद संख्या 3062/25 धारा 4/25 a act मा0 न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर, 2. मौ0 अली पुत्र नसीर अहमद निवासी ग्राम मल्ला माजरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद स0 2421/25 धारा 380/411 भादवि मा0 न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर 3. दिलशाद उर्फ काला पुत्र अय्युब निवासी ग्राम मल्ला माजरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद स0 2421/25 धारा 381/411 भा0वि मा0 न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.वाजिद पुत्र नानू निवासी ग्राम मल्ला माजरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
- 2.मौ0 अली पुत्र नसीर अहमद निवासी ग्राम मल्ला माजरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
- 3.दिलशाद उर्फ काला पुत्र अय्युब निवासी ग्राम मल्ला माजरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शौकीन खान थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 923 प्रविन्द्र सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 1648 रवि कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. है0का0 482 बलराम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:-04-07-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.07.2025 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त वारण्टी सुलेमान पुत्र खलील निवासी दनियालपुर उर्फ नौजली थाना नांगल जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 1319/2021 धारा 325/323/504 भादवि चालानी थाना नांगल जिला सहारनपुर न्यायालय श्रीमान जे0एम देवबन्द तारीख पेशी 11.07.2025 को दनियालपुर उर्फ नौजली से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुलेमान पुत्र खलील निवासी दनियालपुर उर्फ नौजली थाना नांगल जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर।
3. है0का0 147 तन्जीम अख्तर थाना नांगल जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 04.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना ,सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे ,से
ग्राम स्मैक 37 व मोटरसाईकिल 01 बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में नशा तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना चिलकाना पुलिस द्वारा दिनांक 03.07.2025 को 02 नशा तस्कर अभियुक्तगण 1.आरिफ पुत्र सादिक निवासी चौधरी बिहार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर 2.मोनू पुत्र माथुराम निवासी ताजपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर को सरसावा-चिलकाना रोड पर सलीरी चौराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 37 ग्राम नाजायज स्मैक व 01 मोटरसाईकिल बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 148/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

आरिफ पुत्र सादिक निवासी चौधरी बिहार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
मोनू पुत्र माथुराम निवासी ताजपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आरिफ:-

1. मु0अ0सं0 02/21 धारा 363/366/506 भादवि व 3(2)(v)SC/ST एक्ट थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 148/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोनू:-

- मु0अ0सं0 14/23 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना बेहट जनपद सहारनपुर
मु0अ0सं0 280/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
मु0अ0सं0 148/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 37 ग्राम स्मैक
01 मोटर साईकिल (सीज)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

- 1.उ0नि0 अंकित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।

2. है0का0 593 सहदेव कुमार थाना चिलकाना जपनद सहारनपुर।
3. है0का0 1107 अरविन्द कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर ।
5. का0 2400 दीपचन्द थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 04-07-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 नशा तस्कर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार, कब्जे से 126 ग्राम अवैध स्मैक बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 03/07/2025 को रात के दौरान दो शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण (1) सुनील पुत्र नरपत निवासी मौहल्ला शिव कालोनी थाना गांधीनगर जनपद यमुनानगर (हरियाणा), (2) मोहसीन पुत्र रहमत निवासी मौहल्ला शिव कालोनी थाना गांधीनगर जनपद यमुनानगर (हरियाणा) को नकुड़ रोड़ ग्राम बाढीमाजरा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 126 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर थाना गंगोह पर मु0अ0स0- 237/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण- पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्तगण द्वारा एक स्वर में बताया कि हम दोनों कम पढ़े लिखे हैं, स्मैक बेचने का काम करते हैं। आज जो स्मैक हमसे बरामद हुयी है यह स्मैक हमने हरियाणा के व्यक्ति से खरीदकर लाये हैं। हम हरियाणा के आस पास के इलाको में घुमकर स्मैक पीने वालो को मुनाफे में बेच देते हैं, जिससे हमारा खर्चा चल जाता है। आज भी हम स्मैक लेकर बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस चैकिंग देखकर वापस जा रहे थे कि आगे पुलिस ने पकड़ लिया।

बरामदगी का विवरण-

- 70 ग्राम अवैध स्मैक (अभियुक्त सुनील से बरामद)
- 56 ग्राम अवैध स्मैक (अभियुक्त मोहसिन से बरामद)
- 01 आईफोन मोबाईल रंग काला IMEI न0 359675691831107 व 359675691487058
- 01 स्पलैण्डर प्लस मोटरसाईकिल (अंतर्गत धारा 207 MV ACT में सीज की गयी)

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- (1) सुनील पुत्र स्व0 नरपत निवासी मौ0 शिवकालोनी यमुनागर थाना गांधीनगर जनपद यमुनागर (हरियाणा) उम्र 27 वर्ष
- (2) मोहसीन पुत्र रहमत अली निवासी मौ0 शिवकालोनी यमुनागर थाना गांधीनगर यमुनागर (हरियाणा) उम्र 26 वर्ष

अभियुक्त सुनील का आपराधिक इतिहास:-

- (1) मु0अ0सं0-14/2016 धारा 307/323/148/506 भा.द.वि चालानी थाना फरकपुर जिला यमुनानगर हरियाणा।
- (2) मु0अ0सं0-152/17 धारा 379ए भा.द.वि चालानी थाना फरकपुर जिला यमुनानगर हरियाणा।
- (3) मु0अ0सं0- 33/20 धारा 363/366ए व 17 पोक्सो एक्ट चालानी थाना फरकपुर जिला यमुनानगर हरियाणा।
- (4) मु0अ0सं0-217/20 धारा 21बी एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना गांधीनगर यमुनानगर हरियाणा।

(4) मु0अ0सं0- 156/21 धारा 372 भा.द.वि चालानी थाना गांधीनगर यमुनानगर हरियाणा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।
2. है0कां0 258 अजित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।
3. है0कां0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।
4. कां0 326 रिकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।
5. कां0 126 सविन थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।



दिनांक:04.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त सलमान उर्फ सल्लू पुत्र फिरोज निवासी पीर वाली गली न0 16 थाना मण्डी सहारनपुर संबंधित मु0अ0सं0 466/2012 धारा 323/324/504 भादवि वाद सं0 14064/23 माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट सहारनपुर के अनुपालन में पीर वाली गली न0 16 के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सलमान उर्फ सल्लू पुत्र फिरोज निवासी पीर वाली गली न0 16 थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 522 हरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. का0 500 विकल सोम थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 04-07-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्त 01 को 01 अवैध चाकू के
साथ किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु वांछित/वारण्टी/जिला बदर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.07.2025 को चैकिंग के दौरान एक जिला बदर अभियुक्त 01 जिला बदर अभियुक्त शानू उर्फ अहसान पुत्र खलील निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को दूधगढ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद किया गया जो माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश संख्या वाद सं0- 813/2024 द्वारा दिनांक 30.05.2025 से जिला बदर किया गया था। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 149/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 10 यू0पी0 गुण्डा एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध चाकू

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

शानू उर्फ अहसान पुत्र खलील निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त शानू उर्फ अहसान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0-67/2023 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. मु0अ0स0-162/2019 धारा-3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. मु0अ0स0-189/2020 धारा-188 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।
4. मु0अ0स0-359/2019 धारा-2/3 गैगस्टर एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
5. मु0अ0स0-378/2013 धारा-382 भादवि थाना नकुड सहारनपुर।
6. मु0अ0स0-149/2025 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट व 10 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री रिकू कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 259 तेजेन्द्र कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 934 संजीव तौमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

4. का0 461 सोनू तोमर थाना चिलकाना सहारनपुर ।
5. का0 244 धर्मेन्द्र कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।



दिनांक 04.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा झपटमारी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोबाईल फोन व 01 मोटर साइकिल बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 01.07.2025 को वादिया श्रीमती सोनिया पत्नी राधेश्याम निवासी विजय कालौनी थाना कोतवाली जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत 02 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा वादिया के हाथ से मोबाईल पर झपट्टा मारकर छीनने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 281/2025 धारा 304(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार को आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में नकबजनी/लूट/चोरी/झपटमारी आदि घटनाओं की रोकथाम व छिनैती के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 03.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए **02 शातिर लूटेरे/अभियुक्त** अभियुक्तगण **1. करन सिंह उर्फ चीकू पुत्र कंवरपाल सिंह निवासी नस्तरपुर सडौली थाना को0देहात जनपद सहारनपुर, 2. दीपक कुमार उर्फ कालू पुत्र अरविन्द कुमार निवासी ग्राम पिंजौरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को हसनपुर चौराहे दिल्ली रोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 मोबाईल सैमसंग रंग पर्पल व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल पल्सर रजि न0-UP11BH9019 रंग काला को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में (सीज कर) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- पूछताछ करने पर अभियुक्त दीपक कुमार उर्फ कालू उपरोक्त ने बताया कि ये मोबाईल हम दोनों ने मिलकर दि0 02.07.2025 को कुल्तार सिंह नगर कालौनी की गली में चलती हुई महिला से छीना था। हम दोनों पहले से ही योजना बनाकर गये थे कि सही मौका मिलने पर किसी का मोबाइल छीन लेंगे। मोबाईल छीनते समय करन सिंह उर्फ चीकू मोटरसाइकिल चलायेगा और मैं छपट्टा मारकर मोबाइल छीन लूंगा और फिर परसो हम कुल्तार नगर कालौनी में गये तो हमें एक महिला मोबाइल पर बात करते हुए गली में जाते हुए दिखाई दी तो करन ने मोटर साइकिल चला रहा था और मैं पीछे बैठा था और हमने मो0सा0 को महिला के बराबर में लगाया फिर मैंने महिला का मोबाईल छपट्टा मारकर छीन लिया हम इस मोबाइल को किसी व्यक्ति को बेच देते तथा जो पैसे मिलते उसको बराबर बराबर बाँट लेते। और आज हम इस मोबाईल को किसी राह चलते व्यक्ति को बेचने के लिये जा रहे थे कि पुलिस ने हमको पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. करन सिंह उर्फ चीकू पुत्र कंवरपाल सिंह नि0 नस्तरपुर सडौली थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. दीपक कुमार उर्फ कालू पुत्र अरविन्द कुमार निवासी ग्राम पिंजौरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

- 01 मोबाईल सैमसंग
- 01 मोटरसाइकिल पल्सर (धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. का0 587 प्रदीप कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 669 सुमित कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
5. का0 889 जितेन्द्र कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
6. का0 77 अरुण कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।



दिनांक 04.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया

गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 18.05.2025 को वादी मुकदमा द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सूरज पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम कोलागढ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 148/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में पीडिता की बरामदगी की गयी तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही से धारा 65(1)/87 बीएनएस व धारा 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए, आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 03.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर **वांछित अभियुक्त सूरज पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम कोलागढ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को वाल्मिकी बस्ती कोलागढ टावर से पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सूरज पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम कोलागढ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 2432 अनिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 04.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मदाक पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 शातिर

नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 220 ग्राम चरस नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 04.07.2025 को गस्ता/चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त अलीशान उर्फ लीला पुत्र रफीक निवासी मौ0 धोबीवाला निकट फिरदौस मस्जिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को सर्किट हाउस रोड पर बंद पडी कोठी के कोने के पास से गिरफ्तार किया गया। अभि0 अलीशान उर्फ लीला उपरोक्त के कब्जे से 220 ग्राम चरस नाजायज बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 198/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट, पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं अवैध चरस की खरीद फरोख्त का धंधा करता हूँ कुतुबशेर थाना क्षेत्र और जनपद सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में व गाँव में पीने वाले व्यक्तियों को अच्छे दामों में बेचता हूँ। जिससे मेरी अच्छी मोटी कमाई हो जाती है। चरस बेचकर अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ और अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करके भारी मात्रा में चरस की खरीद फरोख्त करता हूँ। आज भी मैं यह चरस एक व्यक्ति से खरीद कर लाया था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अलीशान उर्फ लीला पुत्र रफीक निवासी मौ0 धोबीवाला निकट फिरदौस मस्जिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 220 ग्राम चरस नाजायज

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 143/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर,
2. मु0अ0सं0 440/20 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर,
3. मु0अ0सं0 441/20 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर,
4. मु0अ0सं0 07/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मंडी जनपद सहारनपुर,
5. मु0अ0सं0 09/21 धारा 414/420/467/468/471/482 भादवि थाना मंडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

4. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. उ0नि0 अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. है0का0 960 सचिन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. है0का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

8. का0 1808 आशीष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
9. का0 272 संदीप थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 04.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या-02 जनपद सहारनपुर द्वारा एक अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 16 हजार रू0 अर्थदण्ड तथा अन्य चार अभियुक्तों को 01-01 वर्ष का कारावास तथा 21 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है कि दिनांक 04.10.2021 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगणों 1.सुमित पुत्र कुलदीप कुमार 2.कुलदीप पुत्र बलवंत 3.श्रीमती संतोष पत्नी कुलदीप 4.राधिका पुत्री कुलदीप 5.तन्नू पुत्री कुलदीप समस्त निवासीगण शांतिनगर हनुमान गेट शहर जगादरी जनपद यमुनानगर हरियाणा 6.राकेश उर्फ उमेश पुत्र ब्रह्मसिंह नि0 झिंझाना शामली द्वारा वादिया के साथ मारपीट, गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना व अभि0 कुलदीप द्वारा छेड़खानी करने की सूचना पर मु0अ0स0-152/2021 धारा 498ए313,323,354,504,506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना महिला थाना जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-1076/2023 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या-02 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या-02 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 04.07.2025 को अभियुक्त 1.सुमित पुत्र कुलदीप कुमार को मु0अ0स0-152/2021 में धारा 498ए,313,323,354,504,506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 16 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अभियुक्तगण 1.कुलदीप पुत्र बलवंत 2.श्रीमती संतोष पत्नी कुलदीप 3.राधिका पुत्री कुलदीप 4.तन्नू पुत्री कुलदीप को धारा 498ए,354,323,354,504,506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष का कारावास व 21 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

नोट:- अभियुक्त राकेश उर्फ उमेश पुत्र ब्रह्मसिंह नि0 झिंझाना थाना शामली को उक्त वाद व धाराओं में दोषमुक्त किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री मैनपाल सिंह
विवेचक उपनिरीक्षक सुनिता मालान
पैरोकार है0का0 नौशाद महिला थाना जनपद सहारनपुर।